

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर, पिन-844102)

ईमेल: deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०ई०आर०टी०), पटना के पत्रांक- सी/11-टी/टी-2025/2493 दिनांक 01 जून, 2026 के आलोक में अंकित करना है कि ग्रीष्मावकाश की अवधि में विद्यालय बंद होने के कारण, इस अवधि में पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश देय होने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त के आलोक में जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०ई०आर०टी०), पटना के पत्र के आलोक में 31 दिसंबर 2026 से पूर्व क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।

६०५
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक: 1353.....

वैशाली, दिनांक 27/06/2026

प्रतिलिपि: संबंधित शिक्षक, जिला- वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२७-६-२६
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
27.6.26